बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(1986 का अधिनियम संख्यांक 61)

[23 दिसम्बर, 1986]

[1][सभी उपजीविकाओं में बालकों के लगाए जाने का प्रतिषेध करने और परिसंकटमय उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में कुमारों के लगाए जाने का प्रतिषेध करने तथा उसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम [2][बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986] है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) इस अधिनियम के भाग 3 के उपबंधों से भिन्न उपबंध तुरन्त प्रवृत्त होंगे और भाग 3 उस तारीख[3] को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए और स्थापनों के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

[4][(i) "कुमार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का चौदहवां वर्ष पूरा कर लिया है, किन्तु अपनी आयु का अठारहवां वर्ष पूरा नहीं किया है;]

[5][(iक)] "समुचित सरकार" से केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन स्थापन या रेल प्रशासन या महापत्तन या किसी खान या तेल क्षेत्र के संबंध में केन्द्रीय सरकार और सभी अन्य मामलों में, राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(ii) "बालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का चौदहवां वर्ष पूरा नहीं किया है ;

(iii) "दिन" से अर्ध-रात्रि से आरंभ होने वाली चौबीस घंटे की कालावधि अभिप्रेत है ;

(iv) "स्थापन" के अन्तर्गत दुकान, वाणिज्यिक स्थापन, कर्मशाला, फार्म, आवासीय होटल, उपाहारगृह, भोजन-गृह, नाट्यगृह या सार्वजनिक आमोद या मनोरंजन का अन्य स्थान है ;

(v) अधिष्ठाता के संबंध में "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है कोई व्यष्टि, ऐसे व्यष्टि का पति या पत्नी और उनकी संतान और ऐसे व्यष्टि का भाई या बहन ;

(vi) किसी स्थापन या कर्मशाला के संबंध में "अधिष्ठाता" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे स्थापन या कर्मशाला के कामकाज पर अंतिम नियंत्रण प्राप्त है ;

(vii) "पत्तन प्राधिकारी" से पत्तन का प्रशासन करने वाला कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(viii) "विहित" से धारा 18 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ix) "सप्ताह" से शनिवार की रात्रि को या ऐसी अन्य रात्रि को, जो निरीक्षक द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए लिखकर अनुमोदित की जाए, अर्ध-रात्रि से प्रारंभ होने वाली सात दिन की कालावधि अभिप्रेत है ;

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 35 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
[2] 2016 के अधिनियम सं० 35 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
[3] अधिसूचना सं० का०आ० 333 (अ), तारीख 26 मार्च, 1993 द्वारा 26 मई, 1993 से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3(iii) देखे।
[4] 2016 के अधिनियम सं० 35 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
[5] 2016 के अधिनियम सं० 35 की धारा 4 द्वारा पुन:संख्यांकित।

(x) "कर्मशाला" से अभिप्रेत है कोई ऐसा परिसर, (जिसके अन्तर्गत उसकी प्रसीमाएं भी हैं) जिसमें कोई औद्योगिक प्रक्रिया की जाती है किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई परिसर नहीं है जिसको कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 67 के उपबंध तत्समय लागू होते हैं।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

भाग 2

कुछ उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

[1][**3. किसी उपजीविका या प्रक्रिया में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध**—(1) किसी बालक को किसी उपजीविका या प्रक्रिया में नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।]

(2) उपधारा (1) की कोई बात वहां लागू नहीं होगी, जहां बालक, —

(क) अपने विद्यालय के समय के पश्चात् या प्रावकाशों के दौरान अपने कुटुंब या कुटुम्ब के ऐसे उद्यमों की सहायता करता है, जो अनुसूची में उपवर्णित परिसंकटमय उपजीविकाओं या प्रक्रियाओं से भिन्न है;

(ख) किसी दृश्य-श्रव्य मनोरंजन उद्योग में, जिसके अंतर्गत विज्ञापन, फिल्म, टेलीविजन सीरियल या सर्कस के सिवाय ऐसे कोई अन्य मनोरंजन या खेल संबधी क्रियाकलाप भी हैं, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षा उपायों के अधीन रहते हुए, जो विहितकिए जाएं, कलाकार के रूप में कार्य करता है :

परन्तु इस खंड के अधीन ऐसा कोई कार्य बालक की विद्यालय शिक्षा को प्रभावित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी बालक के संबंध में "कुटुम्ब" पद से उसकी माता, पिता, भाई, बहन और पिता की बहन और भाई तथा माता की बहन और भाई अभिप्रेत हैं;

(ख) "कुटुम्ब के उद्यम" पद से कोई ऐसा कार्य, वृत्ति, विनिर्माण या कारबार अभिप्रेत है जो कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा अन्य व्यक्तियों को साथ लगाकर किया जाता है;

(ग) "कलाकार" पद से ऐसा बालक अभिप्रेत है जो अपने को अभिनेता, गायक, खिलाड़ी के रूप में या उपधारा (2) के खंड (ख) के अन्तर्गत आने वाले मनोरंजन या खेल संबंधी कार्यकलापों से संबंधित ऐसे अन्य क्रियाकलाप, में जो विहित किया जाए, प्रत्यक्षत: अन्तर्वलित करके अभिरूवी या वृत्ति के रूप में कोई कार्य करता है या अभ्यास करता है।]

[2][**3क. कतिपय परिसंकटमय उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में कुमारों का प्रतिषेध**—कोई कुमार, अनुसूची में उपवर्णित किन्हीं परिसंकटमय उपजीविकाओं या प्रक्रियाओं में काम करने के लिए नियोजित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे अपरिसंकटमय कार्य की प्रकृति विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसमें किसी कुमार को इस अधिनियम के अधीन कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।]

4. अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम तीन मास की सूचना देने के पश्चात् वैसी ही अधिसूचना द्वारा, [3][अनुसूची में किसी परिसंकटमय उपजीविका या प्रक्रिया को जोड़ सकेगी या उसमें से लोप कर सकेगी] तब अनुसूची तद्नुसार संशोधित की गई समझी जाएगी।

[4][**5. तकनीकी सलाहकार समिति**]—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक सलाहकार समिति का गठन कर सकेगी जिसे [4][तकनीकी सलाहकार समिति] कहा जाएगा (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् समिति कहा गया है) और जो केन्द्रीय सरकार को अनुसूची में उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं को जोड़ने के प्रयोजन के लिए सलाह देने के लिए होगी।

(2) समिति एक अध्यक्ष और दस से अनधिक उतने सदस्यों से मिलकर बनेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएं।

(3) समिति की बैठकें उतनी बार होंगी जितनी बार वह आवश्यक समझे और उसे अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

(4) समिति, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो एक या अधिक उपसमितियां गठित कर सकेगी और किसी ऐसी उपसमिति में, साधारणतया या किसी विशेष मामले के विचारण के लिए ऐसे किसी व्यक्ति को, जो समिति का सदस्य नहीं है, नियुक्त कर सेकगी।

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
[2] 2016 के अधिनियम सं० 35 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 35 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
[4] 2016 के अधिनियम सं० 35 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

(5) समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि, उनके पदों में आकस्मिक रिक्तियां भरने की रीति, और उनको संदेय भत्ते, यदि कोई हों, और वे शर्तें और निर्बंधन, जिनके अधीन रहते हुए, समिति ऐसे व्यक्ति को, जो उस समिति का सदस्य नहीं है, अपनी किसी उपसमिति का सदस्य नियुक्त कर सकेगी, वे होंगे जो विहित किए जाएं ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

भाग 3

[1][कुमारों] के काम की परिस्थितियों का विनियमन

6. भाग का लागू होना—इस भाग के उपबन्ध ऐसे स्थापन या स्थापनों के वर्ग को लागू होंगे जिसमें [2][धारा 3क] में निर्दिष्ट उपजीविकाओं या प्रक्रियाओं में से कोई नहीं की जाती है ।

7. काम के घंटे और कालावधि—(1) किसी [3][कुमार] से किसी स्थापन में उतने घंटों से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जो ऐसे स्थापन या स्थापनों के वर्ग के लिए विहित किए जाएं ।

(2) प्रत्येक दिन काम की कालावधि इस प्रकार नियत की जाएगी कि कोई कालावधि तीन घंटे से अधिक की नहीं होगी और कोई [3][कुमार] कम से कम एक घंटे का विश्राम अन्तराल ले चुकने से पूर्व तीन घंटे से अधिक काम नहीं करेगा ।

(3) किसी [3][कुमार] के काम की कालावधि की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि वह उपधारा (2) के अधीन उसके विश्राम के अन्तराल सहित छह घंटों से अधिक की नहीं होगी, जिसके अन्तर्गत किसी दिन काम के लिए प्रतीक्षा में बिताया गया समय भी है ।

(4) किसी [3][कुमार] से 7 बजे सायं और 8 बजे प्रातः के बीच काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(5) किसी [3][कुमार] से अतिकाल में काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(6) किसी [3][कुमार] से किसी स्थापन में ऐसे दिन काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जिस दिन वह पहले से ही किसी अन्य स्थापन में काम कर रहा हो ।

8. साप्ताहिक अवकाश दिन—किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक [4][कुमार] को प्रत्येक सप्ताह में एक संपूर्ण दिन का अवकाश मनाने की अनुज्ञा होगी, वह दिन स्थापन में किसी सहजदृश्य स्थान पर स्थायी रूप से प्रदर्शित सूचना में अधिष्ठाता द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए गए दिन में उस अधिष्ठाता द्वारा तीन मास में एक बार से अधिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

9. निरीक्षक को सूचना—(1) ऐसे स्थापन के संबंध में जिसमें कोई [5][कुमार] ऐसे स्थापन के संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख के ठीक पहले काम करने के लिए नियोजित था या काम करने के लिए अनुज्ञात किया गया था, प्रत्येक अधिष्ठाता ऐसे प्रारम्भ के तीस दिन की कालावधि के भीतर उस निरीक्षक को, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थापन अवस्थित है, निम्नलिखित अन्तर्विष्ट करते हुए, लिखित सूचना भेजेगा, अर्थात् :—

(क) स्थापन का नाम और अवस्थिति ;

(ख) स्थापन का वास्तव में प्रबन्ध करने वाले व्यक्ति का नाम ;

(ग) वह पता जिस पर स्थापन से संबंधित संसूचनाएं भेजी जानी चाहिएं, और

(घ) उपजीविका की प्रकृति या स्थापन में की जाने वाली प्रक्रिया ।

(2) किसी स्थापन के संबंध में, ऐसा प्रत्येक अधिष्ठाता जो ऐसे स्थापन के संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख के पश्चात् किसी [5][कुमार] को काम करने के लिए नियोजित या अनुज्ञात करता है ऐसे नियोजन की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर उस निरीक्षक को, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थापन अवस्थित है, उपधारा (1) में वर्णित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए लिखित सूचना भेजेगा ।

स्पष्टीकरण—उपधारा (1) और उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए "किसी स्थापन के संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख" से ऐसे स्थापन के संबंध में इस अधिनियम को प्रवृत्त करने की तारीख अभिप्रेत है ।

(3) धारा 7 और धारा 8 और धारा 9 की कोई बात, किसी ऐसे स्थापन को जिसमें अधिष्ठाता द्वारा कोई प्रक्रिया अपने कुटुम्ब की सहायता से की जाती है या सरकार द्वारा स्थापित या उससे सहायता या मान्यताप्राप्त करने वाले किसी विद्यालय को लागू नहीं होगी ।

10. आयु के बारे में विवाद—यदि किसी ऐसे [6][कुमार] की, जो अधिष्ठाता द्वारा किसी स्थापन में काम करने के लिए नियोजित या अनुज्ञात किया जाता है, आयु के बारे में निरीक्षक और अधिष्ठाता के बीच कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो वह प्रश्न, विहित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा ऐसे [6][कुमार] की आयु के बारे में दिए गए प्रमाणपत्र के अभाव में, निरीक्षक द्वारा विहित चिकित्सा प्राधिकारी को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा ।

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 35 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2016 के अधिनियम सं० 35 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 35 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2016 के अधिनियम सं० 35 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2016 के अधिनियम सं० 35 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2016 के अधिनियम सं० 35 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

11. रजिस्टर का रखा जाना—प्रत्येक अधिष्ठाता द्वारा किसी स्थापन में काम करने के लिए नियोजित या अनुज्ञात [1][कुमारों] के संबंध में एक रजिस्टर रखा जाएगा जो काम के घंटों के दौरान सब समयों पर या जब किसी ऐसे स्थापन में काम हो रहा हो, तब सभी समयों पर निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए उपलभ्य होगा, जिसमें निम्नलिखित दर्शित होंगे :—

(क) काम के लिए इस प्रकार नियोजित या अनुज्ञात किए गए प्रत्येक [1][कुमार] का नाम और उसके जन्म की तारीख ;

(ख) किसी ऐसे [1][कुमार] के काम के घंटे और कालावधियां तथा विश्राम के वे अन्तराल जिनका वह हकदार है ;

(ग) किसी ऐसे [1][कुमार] के काम की प्रकृति ; और

(घ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं ।

12. [2][धारा 3क और धारा 14] की संक्षिप्ति को अंतर्विष्ट करने वाली सूचना का संप्रदर्शन—प्रत्येक रेल प्रशासन, प्रत्येक पत्तन प्राधिकारी और प्रत्येक अधिष्ठाता, यथास्थिति, अपनी रेल के प्रत्येक स्टेशन पर या किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर या काम के स्थल पर किसी सहजदृश्य और सुगम स्थान पर स्थानीय भाषा में और अंग्रेजी भाषा में, इस अधिनियम की [2][धारा 3क और धारा 14] की संक्षिप्ति अन्तर्विष्ट करने वाली सूचना संप्रदर्शित करवाएगा ।

13. स्वास्थ्य और सुरक्षा—(1) समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी स्थापन या किसी वर्ग के स्थापनों में काम करने के लिए नियोजित या अनुज्ञात [3][कुमारों] के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) काम के स्थल पर सफाई और उसकी न्यूसेंस से मुक्ति ;

(ख) अपशिष्ट और बहिःस्राव का व्ययन ;

(ग) संवातन और तापमान ;

(घ) धूल और धूम ;

(ङ) कृत्रिम नमीकरण ;

(च) प्रकाश ;

(छ) पीने का पानी ;

(ज) शौचालय और मूत्रालय ;

(झ) थूकदान ;

(ञ) मशीनरी पर बाड़ लगाना ;

(ट) मशीनरी के गतिमान होने पर उस पर या उसके निकट काम ;

(ठ) खतरनाक मशीनों पर बालकों का नियोजन ;

(ड) खतरनाक मशीनों पर बालकों के नियोजन के संबंध में अनुदेश, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण ;

(ढ) बिजली काटने के लिए युक्तियां ;

(ण) स्वक्रीय मशीनें ;

(त) नई मशीनरी का सुकरण ;

(थ) फर्श, सीढ़ियां और पहुंचने के साधन ;

(द) गर्त, चहबच्चा, फर्शों में विवर, आदि ;

(ध) अत्यधिक वजन ;

(न) आंखों का संरक्षण ;

(प) विस्फोटक या ज्वलनशील धूल, गैस, आदि ;

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 35 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2016 के अधिनियम सं० 35 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 35 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(फ) आग लगने की दशा में पूर्वावधानियां ;

(ब) भवनों का अनुरक्षण, और

(भ) भवनों और मशीनरी की सुरक्षा ।

भाग 4

प्रकीर्ण

14. शास्तियां—[1][(1) जो कोई किसी बालक को धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित करता है या काम करने के लिए अनुज्ञात करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा :

परन्तु ऐसे बालक के माता-पिता या संरक्षक को तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि वे ऐसे बालक को, धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन में वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए अनुज्ञात न करें ।

(1क) जो कोई किसी कुमार को धारा 3क के उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित करता है या काम करने के लिए अनुज्ञात करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा :

परन्तु ऐसे कुमार के माता-पिता या संरक्षक को तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे कुमार को, धारा 3क के उपबंधों के उल्लंघन में कार्य करने के लिए अनुज्ञात न करें ।

(1ख) उपधारा (1) और उपधारा (1क) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 3 या धारा 3क में निर्दिष्ट किसी बालक या कुमार के माता-पिता या संरक्षक प्रथम अपराध की दशा में दंड के भागी नहीं होंगे ।]

[1][(2) जो कोई, धारा 3 या धारा 3क के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराए जाने पर, तत्पश्चात् वैसा ही अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा ।

(2क) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे माता-पिता या संरक्षक, जो धारा 3 या धारा 3क के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराए जाने पर, तत्पश्चात् वैसा ही अपराध करेगा, वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।]

[2]* * * * * * *

(घ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा या उनका उल्लंघन करेगा,

वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

[3][**14क. अपराधों का संज्ञेय होना—**(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी नियोजक द्वारा किया गया और धारा 3 या धारा 3क के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा ।

14ख. बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि—(1) समुचित सरकार, प्रत्येक जिले में अथवा दो या अधिक जिलों के लिए बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि नामक एक निधि की स्थापना करेगी, जिसमें ऐसे जिले या जिलों की अधिकारिता के भीतर के बालक और कुमार के नियोजक से वसूल की गई जुर्माने की रकम जमा की जाएगी ।

(2) समुचित सरकार, प्रत्येक ऐसे बालक या कुमार के लिए, जिसके लिए उपधारा (1) के अधीन जुर्माने की रकम जमा की गई है, निधि में पंद्रह हजार रुपए की रकम जमा करेगी ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन निधि में जमा की गई रकम ऐसे बैंकों में जमा की जाएगी या उसका ऐसी रीति में विनिधान किया जाएगा, जैसा समुचित सरकार विनिश्चित करे ।

(4) उपधारा (3) के अधीन, यथास्थिति, जमा की गई या विनिहित रकम, और उस पर प्रोद्भूत ब्याज की रकम ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे बालक या कुमार को संदत्त की जाएगी जिसके पक्ष में ऐसी रकम जमा की गई है ।

स्पष्टीकरण—समुचित सरकार के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 239क के अधीन संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक या उपराज्यपाल भी है ।

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 35 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2016 के अधिनियम सं० 35 की धारा 18 द्वारा लोप किया गया ।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 35 की धारा 19 द्वारा अंत:स्थापित ।

COURT BOOK

14ग. छुड़ाए गए बालक का कुमार का पुनर्वास—ऐसे बालक या कुमार का, जो इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित किया गया है और उसे छुड़ा लिया गया है, तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार पुनर्वास किया जाएगा ।

14घ. अपराधों का शमन—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जिला मजिस्ट्रेट, अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर उसके द्वारा धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन पहली बार किए गए किसी अपराध का या किसी ऐसे अभियुक्त व्यक्ति द्वारा, जो माता-पिता या संरक्षक है, किए गए किसी अपराध का, ऐसी रीति में और समुचित सरकार को ऐसी रकम का संदाय करने पर, जो विहित की जाए, शमन कर सकेगा ।

(2) यदि अभियुक्त, अपराधके शमन के लिए ऐसी रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्यवाहियों चालू रहेंगी ।

(3) जहां कोई अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व किसी अपराध का शमन कर दिया जाता है वहां ऐसे अपराध के संबंध में उस अपराधी के विरुद्ध, जिसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा ।

(4) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के प्रारंभ होने के पश्चात् किया जाता है वहां ऐसे शमन को उस न्यायालय की जानकारी में लाया जाएगा जिसमें अभियोजन लंबित है और अपराध के शमन का अनुमोदन किए जाने पर, ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध अपराध का इस प्रकार शमन किया जाता है, उन्मोचित कर दिया जाएगा ।]

15. शास्तियों के संबंध में कुछ विधियों का उपांतरित रूप में लागू होना—(1) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन उल्लिखित उपबंधों में से किसी के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है और सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां वह इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में उपबंधित रूप में, न कि उन अधिनियमों के अधीन, जिनमें वे उपबंध अन्तर्विष्ट हैं, शास्तियों का दायी होगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपबंध निम्नलिखित हैं :—

(क) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 67 ;

(ख) खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 40 ;

(ग) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 109 ; और

(घ) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का 27) की धारा 21 ।

16. अपराधों से संबंधित प्रक्रिया—(1) कोई व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का परिवाद सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में कर सकेगा ।

(2) किसी बालक की आयु के बारे में प्रत्येक प्रमाणपत्र, जो विहित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उस बालक की, जिससे वह संबंधित है, आयु के बारे में निश्चायक साक्ष्य होगा ।

(3) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

17. निरीक्षक की नियुक्ति—समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा ।

[1][**17क. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपबंधों का कार्यान्वयन किया जाना**—समुचित सरकार, जिला मजिस्ट्रेट को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के उपबंधों का उचित रूप से कार्यान्वयन किया जाए, ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगी और उस पर ऐसे कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगी, जो आवश्यक हों तथा जिला मजिस्ट्रेट उसके अधीनस्थ के ऐसे अधिकारी को, जो इस प्रकार प्रदत्त या अधिरोपित सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और सभी या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा तथा ऐसी स्थानीय सीमाओं को, जिनके भीतर ऐसी शक्तियों या कर्तव्यों को कार्यान्वित किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जो विहित किया जाए, किया जाएगा विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

17ख. निरीक्षण और मानीटर करना—समुचित सरकार, ऐसे स्थानों का, जहां पर बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है, औश्र परिसंकटमय उपजीविकाओं या प्रक्रियाओं को किया जाता है ऐसे अंतरालों पर, जो वह ठीक समझे, कालिक निरीक्षण करने और करवाने के लिए और इस अधिनियम के उपबंधों से संबंधित मुद्दों को मानीटर करेगी ।]

18. नियम बनाने की शक्ति—(1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए नियम बना सकेगी ।

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 35 की धारा 20 द्वारा अंत:स्थापित ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

[1][(क) धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन शर्तें और सुरक्षा उपाय और उसकी उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अधीन अन्य क्रियाकलाप;]

[2][(ख)] तकनीकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, उनकी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति और उनको संदेय भत्ते तथा वे शर्तें और निर्बन्धन, जिनके अधीन रहते हुए, कोई ऐसा व्यक्ति जो सदस्य नहीं है, धारा 5 की उपधारा (5) के अधीन किसी उपसमिति में नियुक्त किया जा सकेगा ;

[2][(ग)] उन घंटों की संख्या, जिनके लिए किसी [3][कुमार] को धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात किया जा सकेगा ;

[2][(घ)] नियोजन में या नियोजन चाहने वाले अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में आयु के प्रमाणपत्र का दिया जाना, चिकित्सा प्राधिकारी, जो ऐसा प्रमाणपत्र दे सकेंगे, ऐसे प्रमाणपत्र का प्ररूप, वे प्रभार जो उसके अधीन दिए जा सकेंगे और वह रीति जिससे ऐसा प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा :

परन्तु यदि आवेदन के साथ आयु का ऐसा साक्ष्य है जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा समाधानप्रद समझा जाता है तो ऐसा प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा ;

[2][(ङ)] अन्य विशिष्टियां, जो धारा 11 के अधीन रखे गए रजिस्टर में होगी चाहिएं ।

[1][(च) धारा 14ख की उपधारा (4) के अधीन बालक या कुमार को रकम के संदाय की रीति;

(छ) धारा 14घ की उपधारा (1) के अधीन अपराध के शमन की और समुचित सरकार को रकम का संदाय करने की रीति;

(ज) धारा 17क के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और पालन किए जाने वाले कर्तव्य तथा वे स्थानीय सीमाएं, जिनके भीतर ऐसी शक्तियां और कर्तव्यों का कार्यान्वित किया जाएगा ।]

19. नियमों और अधिसूचनाओं का संसद् या राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाना—(1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और धारा 4 के अधीन निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना बनाए या निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या वह अधिसूचना नहीं निकाली जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी । किन्तु नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, उस राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

20. विधि के कुछ अन्य उपबंधों का वर्जित न होना—धारा 15 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63), बागान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का 69) और खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में ।

21. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है और जो उसे उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हैं :

परन्तु कोई ऐसा आदेश उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीन वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश, निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

22. निरसन और व्यावृत्ति—(1) बालक नियोजन अधिनियम, 1938 (1938 का 26) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 35 की धारा 21 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2016 के अधिनियम सं० 35 की धारा 21 द्वारा पुन:संख्यांकित ।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 35 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी यह है कि इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[1]* * * * * * *

[2][अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

(1) खानें ।

(2) ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक ।

(3) परिसंकटमय प्रक्रिया ।

स्पष्टीकरण इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए "परिसंकटमय प्रक्रिया" का वही अर्थ है जो कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (गख) में है ।]

---

[1] 2001 के अधिनियम सं० 30 द्वारा धारा 23 से 26 तक निरसित ।

[2] 2016 के अधिनियम सं० 35 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।